उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0आर0 नं0-07/2012-13

दुखू मिर्धा

बनाम्

मो0 करमी एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान रिविजन वाद की प्रक्रिया रिविजनकर्त्ता दुखू मिर्धा पे0—स्व0 बखो मिर्धा उर्फ बखोरी मिर्धा उर्फ बरखा मिर्धा, सा0—गड़ीपरवारा अंचल—ठाकुरगंगटी, जिला—गोड्डा के रिविजन आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। रिविजनकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के मुटेशन अपील केश नं0—23/2009—10 आदेश दिनांक—14.10.2011 एवं रा0वि0वाद सं0—4/2011—12 के आदेश दिनांक—30.05.2012 के विरूद्ध रिविजन वाद दायर किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने मुटेशन अपील नं0—23/2009—10 आदेश दिनांक—14.10.2011 के द्वारा उत्तरवादी भगवान मिर्धा के अपील आवेदन को स्वीकृत किया है एवं पक्षकारों को सुनवाई हेतु अभिलेख निम्न न्यायालय को प्रति प्रेषित किया है तथा राजस्व विविध वाद सं0—04/2011—12 आदेश दिनांक—30.05.2012 के द्वारा पुनरावलोकन आवेदन को अस्वीकृत किया है।

रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि रिविजनकर्त्ता दुखू मिर्धा के नाम से मौजा गड़ीपरवारा के जमाबंदी सं0—9 के अन्तर्गत दाग नं0—23, 24, 58, 60, 136 एवं 171 कुल रकवा 13—11—10 धुर जमीन का नामांतरण किया गया है। उक्त जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बखो मिर्धा पे0—मोही मिर्धा के नाम से दर्ज है। बखो मिर्धा अपने पीछे अपने विधवा पत्नी मो0 शनिचरिया को छोड़कर फौत कर गये। मो0 शनिचरिया एवं बखो मिर्धा उर्फ बखोरी मिर्धा उर्फ बरखा मिर्धा को कोई पुत्र नहीं होने के कारण मो0 शनिचरिया ने दुखू मिर्धा पे0—बच्चा मिर्धा को पोष्यपुत्र लिया। पोष्यपुत्र लेने के समय दुखू मिर्धा का उम्र एक वर्ष था। पोष्यपुत्र लेने के बाद मो0 शनिचरिया के द्वारा पोष्यपुत्रनामा का निबंधित कराया गया, जिसका निबंधन सं0—117/1961 है। उनका आगे कथन है कि मो0 शनिचरिया एवं बखो मिर्धा की जमीन पर रिविजनकर्त्ता शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार हैं। रिविजनकर्त्ता ने उक्त जमीन का नामांतरण हेतु अंचल अधिकारी, मेहरमा को

आवेदन दिया। रिविजनकर्त्ता के नाम से मुटेशन के बाद शुद्धि पत्र निर्गत किया गया। भगवान मिर्धा एवं राम मिर्धा के द्वारा अंचल अधिकारी, मेहरमा के मुटेशन केश नं0–125/1975–76 के विभिन्न आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया। लेकिन मुटेशन के अंतिम आदेश के विरूद्ध आवेदन दायर नहीं किया था। उत्तरवादी ने गत जमाबंदी रैयत बखो मिर्धा के नाती के आधार पर दावा किया है। जबकि दुखू मिर्धा गत जमाबंदी रैयत बखो मिर्धा के एक मात्र पोष्यपुत्र है। अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा पोष्यपुत्र दस्तावेज के आधार पर रिविजनकर्त्ता के नाम से उक्त जमाबंदी की जमीन का नामांतरण किया गया एवं उक्त मुटेशन आदेश दिनांक–12.10.1975 को पारित किया है। इसलिए अंचल अधिकारी, मेहरमा का पारित आदेश नियम संगत है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा को अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर लेना चाहिए था। लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के मुटेशन अपील वाद सं0–23/2009–10 के आदेश दिनांक–14.10.2011 को निरस्त करते हुए रिविजन आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

रिविजनकर्त्ता ने रिविजन आवेदन के साथ अपील अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया है। रिविजन आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

प्रक्रिया चलने के दौरान विपक्षी भगवान मिर्धा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मो0 करमी को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–गड़ीपरवारा नं0–265 जमाबंदी सं0–9 रकवा 13–11–10 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बखो मिर्धा पे0–मोही मिर्धा के नाम से दर्ज है।। जमाबंदी रैयत बखो मिर्धा का वंशावली निम्न प्रकार है :–

बखो मिर्धा(जमाबंदी रैयत)
मो0 शनिचरिया(पत्नी)

- मो0 सरस्वती
  - एतवारी मिर्धा
    - भगवान मिर्धा(मृत)
      - मो0 करमी (विपक्षी सं0–1)
    - रामा मिर्धा (विपक्षी सं0–2)
- शांति देवी
  - दुखू मिर्धा (रिविजनकर्त्ता)
  - सुगदेव मिर्धा
- मो0 सम्पतिया(नावल्द मृत)

RMA No. 07-2012-13

उनका आगे कथन है कि मो0 सम्पतिया की मृत्यु नावल्द हो गयी। इसलिए दोनों पुत्री ने उक्त जमाबंदी की जमीन का हिस्सा कर लिया। दोनों पक्ष गत जमाबंदी रैयत के पुत्री के वंशज हैं एवं उक्त जमाबंदी की जमीन का मौखिक रूप से आधा–आधा बँटवारा कर लिया है तथा उसी के अनुसार दोनों पक्ष जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार है। लेकिन रिविजनकर्त्ता ने उक्त जमाबंदी की सम्पूर्ण जमीन का नामांतरण के लिए अंचल अधिकारी, मेहरमा के समक्ष नामांतरण वाद सं0–125/75–76 दायर किया। उस नामांतरण वाद में विपक्षी को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं मौजा के सौलह आना रैयतों को नोटिश तामिला किये बिना ही जाली हस्ताक्षर करा लिया गया तथा रिविजनकर्त्ता के नाम से नामांतरण आदेश पारित किये बिना ही शुद्धि पत्र निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा नामांतरण आदेश पारित किये बिना ही शुद्धि पत्र निर्गत किया गया था। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा विपक्षी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया गया है तथा पुनः सुनवाई हेतु अभिलेख अंचल अधिकारी, मेहरमा को रिमाण्ड किया है। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक–103/रा0 दिनांक–13.02.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा–गड़ीपरवारा थाना नं0–265 जमाबंदी नं0–09 के अंतर्गत दाग नं0–23, 24, 58, 59, 60, 67 और 136 कुल रकवा 13–11–10 धुर जमीन सर्वे खतियान में बखो मिर्धा वल्द मोती मिर्धा कौम डोम साकिन देह के नाम से दर्ज है। पंजी–2 में अंचल अधिकारी, मेहरमा के आदेशानुसार मुटेशन केश नं0–125/75–76 दिनांक–12.10.1975 के मुताबिक मूल जमाबंदी रैयत का नाम दर्ज पाया गया है। मालगुजारी वर्ष 2015–16 तक वसूल है। उक्त नामांतरण जिला निबंधन पदाधिकारी के पोष्यपुत्रनामा सं0–117 दिनांक–05.10.1961 के आधार पर किया गया है। जिसमें खतियानी रैयत की पत्नी मो0 शनिचरी देवी ने अपने पुत्री शांति देवी के पुत्र दुखू मिर्धा को पोष्यपुत्र लिया है। उक्त निबंधित पोष्यपुत्रनामा एवं नामांतरण केश नं0–125/75–76, संबंध प्रमाण पत्र, मतदाता सूची एवं लगान रसीद के आधार पर न्यायालय सहायक, बंदोवस्त पदाधिकारी, पेशकारी प्रशाखा, दुमका विविध वाद संख्या–1174/13 एवं न्यायालय बंदोवस्त पदाधिकारी, संथाल परगना, बंदोवस्त दुमका के

एस0एम0आर0 नं0–04/2015 में फैसला दुखू मिर्धा के पक्ष में दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पत्रांक–1203/सा0 दिनांक–04.08.2018 के द्वारा वर्णित जमाबंदी की जमीन पर दुखू मिर्धा को दखल दिहानी का आदेश प्राप्त हुआ है। खतियानी रैयत बखो मिर्धा को तीन पुत्रियाँ क्रमशः मो0 सरस्वती देवी, मो0 सम्पतिया देवी एवं मो0 शांति देवी थी। मो0 सम्पतिया देवी नावल्द फौत कर गई। मो0 शांति देवी के पुत्र दुखू मिर्धा को खतियानी रैयत की पत्नी मो0 शनिचरिया द्वारा 1961 ई0 में गोद लिया गया। विपक्षी भगवान मिर्धा वगैरह खतियानी रैयत की पुत्री मो0 सरस्वती देवी के वारिशान है। उनके द्वारा निवंधित पोष्यपुत्रनामा डीड को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार का सक्षम न्यायालय द्वारा बँटवारानामा प्रस्तुत किया गया है। दुखू मिर्धा उक्त वर्णित जमीन के खेसरा पर स्वतंत्र रूप से दखलकार हैं एवं जोत आबाद करते चले आ रहे हैं। प्रमाणित प्रतिलिपि गैर अंतिम खतियान के नये जमाबंदी नं0–11 में दुखू मिर्धा पेसर बखोरी मिर्धा जाति डोम निवासी नीज ग्राम के नाम से खाता खोला गया है। विपक्षीगण ग्राम दासुचकला पोस्ट–सुड़नी थाना वो अंचल–मेहरमा में निवास करते हैं एवं उल्लेखित खेसरा की जमीन पर इनका किसी प्रकार का दखल नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–गड़ीपरवारा नं0–265 जमाबंदी सं0–9 कुल रकवा 13–11–10 धुर जमीन बखो मिर्धा वल्द मोही मिर्धा के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। रिविजनकर्त्ता ने उक्त जमाबंदी की जमीन पर पोष्यपुत्र के आधार पर दावा किया है एवं विपक्षी ने गत जमाबंदी रैयत के पुत्री मो0 सरस्वती देवी के वंशज के आधार पर दावा किया है। रिविजनकर्त्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, मेहरमा ने पोष्यपुत्रनामा के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया है। लेकिन अंचल अधिकारी, मेहरमा के मुटेशन केश नं0–125/75–76 में दुखु मिर्धा के नाम से नामांतरण आदेश पारित किये बिना ही शुद्धि पत्र निर्गत किया गया है। बिना नामांतरण आदेश पारित किये ही शुद्धि पत्र निर्गत किये जाने के कारण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा अभिलेख सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के मुटेशन अपील नं0–23/2009–10 में दिनांक–14.10.2011 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 16:56:40 +05:30
Location: 192.168.29.8